न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 14 / 14 दायरा दिनांक 06.03.2014

1–रामजीलाल पुत्र श्री छीतू आयु 68 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

2–गजानंद पुत्र श्री छीतू आयु 64 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

3–रामकुंवर पुत्र रामचरण आयु 50 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

4–घनश्याम पुत्र रामचरण आयु 46 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

5–दिनेश पुत्र रामचरण आयु 40 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

6–बृजेश पुत्र रामचरण आयु 35 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

7–सरवदी वेवा रामचरण आयु 70 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

8–राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ आयु 50 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

9–इन्दरलाल पुत्र जगन्नाथ आयु 47 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

10–ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ आयु 43 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

11–चन्द्रप्रकाश पुत्र जगन्नाथ आयु 40 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

12–धनिया वेवा जगन्नाथ आयु 75 वर्ष जाति दर्जी निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1–सुशीला पत्नि इन्दरलाल आयु 40 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

2–अनीता पत्नि शिवराम आयु 35 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

वाद अन्तर्ग[illegible]3, 188 आर.टी.ए. 1955

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:50:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय [illegible]05.2025

उपस्थित– वादीगण की ओर से श्री [illegible]शचन्द नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण के सहखाते व कब्जे में आराजी ख0सं0 464 रकबा 4.10 बीघा कृषि भूमि ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहावाद में स्थित है, जिसे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी के उत्तर में प्रतिवादीगण के खाते की आराजी ख0सं0 465 स्थित है। विवादित आराजी पर उत्तरी तरफ करीब

08/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

7 विस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण ने 3 वर्ष से अवैधानिक कब्जा व अतिक्रमण कर ख0सं0 465 में मिला लिया है। वादीगण ने अवैध कब्जा हटाने की कहा तो प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये। वादीगण ने प्रतिवादीगण की उपस्थिति में दिनांक 28.05.2012 को सीमाज्ञान कराया तो उक्त 7 विस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया गया, दिनांक 16.12.2013 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से अतिक्रमण हटाने की कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट मना कर दिया तथा सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। अतः वादीगण के खाते की भूमि ख0सं0 464 रकबा 4.10 बीघा में से उत्तरी 7 विस्वा पर से प्रतिवादीगण के अतिक्रमण को हटाया जाकर वादीगण को कब्जा दिया जावे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने बावत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जबावदावा पेश कर दावे की सभी मद को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियां अन्तर्गत कथन किया कि प्रतिवादीगण ने आराजी ख0नं0 465 रकबा 9.06 बीघा पूर्व खातेदार से दिनांक 20.03.2006 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से उक्त आराजी के चारो मेढ का पत्थर कोट बना हुआ है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण का प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि में किसी प्रकार का कोई हित अधिकार नहीं है क्रय समय से प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिस भू भाग को वादीगण अपना बता रहे हैं वह वादीगण के कभी कब्जे में नहीं रहा है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कोई पेमायश नहीं की गई है, रिपोर्ट अस्वीकार है। विवादित भूमिप र पिछले 50 वर्षों से कोई कब्जा नहीं रहा है इस कारण वाद मयाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा विवादित आराजी का पूर्व में ही गांव के लोगो को रहने हेतु बेचान कर दिया है, जिसमें लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। वादीगण हल्का पटवारी से मिलकर ख0नं0 465 में से भूमि लेना चाहते हैं, जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाने की कृपा करें।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अन्तर्गत पी0डबलू0 1 वादी रामजीलाल, पी0डबलू 02 चन्दन तथा पी0डबलू0 3 शिवजी के बयान कराये और जमाबंदी ग्राम कस्बानोनेरा संवत 2067–70 खाता संख्या 238 को प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2 तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.05.12 प्रदर्श 3 को प्रदर्श कराया। वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कस्बानोनेरा तहसील शाहाबाद की आराजी ख0सं0 464 रकबा 4.10 बीघा वादीगण के खाते की है तथा आराजी ख0नं0 465 रकबा 9.06 बीघा प्रतिवादीगण के खाते की है। इस प्रकार वादी तथा प्रतिवादीगण की भूमि अलग अलग हैं। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादीगण तथा प्रतिवादीगण दोनो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अपनी अपनी सीमा पर कायम रहें और एक दूसरे की भूमि पर कब्जा नहीं करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:50:13 IST
Reason: SelfAttested

08/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद